



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निगरानी-0355/2019 देवास/भू 17

प्र.क्र...../2019

1. सावित्रीबाई विधवा भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम तालोद तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
2. कमल पिता भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम तालोद तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
3. राजपाल पिता भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम तालोद तहसील सोनकच्छ जिला देवास
4. संदीप पिता भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम तालोद तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

रेशमबाई पति कन्हैयालाल जाति बलाई निवासी ग्राम तालोद तहसील सोनकच्छ जिला देवास

.....प्रतिप्रार्थी

रिवीजन (पुनरिक्षण) अधिन धारा 50 भू.सं.
विरुद्ध श्रीमान अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन
म.प्र. द्वारा राजस्व अपील क्रं. 1058/2017-18
मे पारित आदेश दिनांक 11/01/2019

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से रिवीजन/पुनरिक्षण कमीशनर महोदय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित अन्दरी न्याय निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रार्थी ने ग्राम तालोद की भूमि सर्वे नं. 301 रकबा 0.240 आरे, सर्वे नं. 302 रकबा 0.420 आरे कुल कीता 2 कुल रकबा 0.660 आरे का सीमांकन कराने के बाद सर्वे नं. 302

.....विरुद्ध 2

नि.प्र. सावित्रीबाई

कमलसिंह

रेशमबाई

(172)

(206)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक-निगरानी/0355/2019/देवास/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/01/2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्रहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।</p> <p align="right">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	

R